



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2015/माघ 13, 1936

No. 243]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2015/MAGHA 13, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2015

का.आ. 323(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य-निधि योजना, 1952 के पैरा 39 के साथ पठित पैरा 30 के स्पष्टीकरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 18 जुलाई, 1998 में, भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1437 तारीख 9 जुलाई, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी भविष्य-निधि के, सामान्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए नियोजक द्वारा उक्त स्कीम के पैरा 30 और पैरा 38 के उप पैरा 1 के प्रयोजनों के लिए संदेय प्रशासनिक प्रभारों को प्रत्येक अकृत्यकारी स्थापन, जिसका कोई अंशदायिक सदस्य नहीं है, के लिए प्रतिमास पचहत्तर रुपए की न्यूनतम राशि और अन्य स्थापनों के लिए प्रति स्थापन पांच सौ रुपए प्रतिमास की न्यूनतम राशि के अधीन रहते हुए, वेतन के 0.85 प्रतिशत (शून्य दशमलव पचासी प्रतिशत) जैसा कि उक्त पैराओं में निर्दिष्ट किया गया है, नियत करती है।

2. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात का 31 दिसंबर, 2014, उस तारीख को सम्मिलित करते हुए, उस अवधि की बाबत संदेय प्रशासनिक प्रभारों, जिनके लिए पैरा 1 में निर्दिष्ट अधिसूचना उसी तरह लागू रहेगी मानो उसका अधिक्रमण नहीं किया गया था।

[सं.एस-35012/01/2014-एसएस.II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2015

S.O. 323(E).— In exercise of the powers conferred by the *Explanation* to paragraph 30 read with paragraph 39 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour number S.O. 1437 dated the 9th July, 1998, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 18th July, 1998, as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Central Board and having regard to the resources of the Employees' Provident Fund available for meeting its normal administrative expenses, hereby fixes the administrative

charges payable by the employer for the purposes of paragraph 30 and sub-paragraph (1) of paragraph 38 of the said Scheme at 0.85 per cent. (zero point eight five per cent.) of the pay as referred to in the said paragraphs subject to a minimum sum of seventy-five rupees per month for every non-functional establishment having no contributory member and five hundred rupees per month per establishment for other establishments.

2. For the removal of doubts, it is hereby notified that nothing contained in this notification shall affect the administrative charges payable in respect of the period up to and inclusive of the 31st December, 2014 in respect of which the notification referred to in paragraph 1 herein shall continue to apply as if the same had not been superseded.

[No.S-35012/01/2014-SS.II]
MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2015

का.आ. 324(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6ग की उपधारा (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 875(अ) तारीख 1 अक्टूबर, 1987 और सं. का.आ. 237 तारीख 11 जनवरी, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मूल वेतन, महंगाई भत्ता (जिसके अंतर्गत किसी खाद्य रियायत का नकद मूल्य भी सम्मिलित है) तथा प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हों, अवधारित किया जाता है, जो कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के प्रशासन के संबंध में व्ययों को पूरा करने के लिए उक्त स्कीम के द्वारा या उसके अधीन दिए गए कोई अन्य लाभों की लागत के मद्दे व्ययों से भिन्न, मूल वेतन के योग का 0.01 प्रतिशत (शून्य दशमलव शून्य एक) तक जमा सहबद्ध बीमा निधि को प्रत्येक मास नियोजक द्वारा और रकम संदाय के रूप में अपने कर्मचारी के संबंध में नियोजक द्वारा समय के लिए संदाय होगी।

परंतु नियोजकों द्वारा संदेय प्रशासनिक प्रभारों की रकम प्रत्येक अकृत्यकारी स्थापन, जिसका कोई अभिदायी सदस्य नहीं है, के लिए प्रतिमास न्यूनतम 25 रुपए और अन्य स्थापनों के लिए प्रत्येक स्थापन प्रतिमास 200 रुपए न्यूनतम के अधीन रहते हुए, संदेय होगी।

2. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात का 31 दिसंबर, 2014, उस तारीख को सम्मिलित करते हुए, उस अवधि की बाबत संदेय प्रशासनिक प्रभारों, जिनके लिए पैरा 1 में निर्दिष्ट अधिसूचना उसी तरह लागू रहेगी मानो उसका अधिक्रमण नहीं किया गया था।

[सं.एस-35012/01/2014-एसएस.II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2015

S.O. 324(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (4) of section 6C of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notifications of the Government of India Ministry of Labour number S.O. 875 (E) dated the 1st October, 1987 and number S.O. 237 dated the 11th January, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby determines 0.01 (zero point zero one) per cent. of the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of any food concession) and retaining allowances, if any, payable for the time being by the employer in relation to his employees as the further sum payable by the employer every month to the Deposit-linked Insurance Fund for the meeting the expenses in connection with the administration of the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 other than the expenses towards the cost of any benefits provided by or under that scheme:

Provided that the amount of administrative charges payable by the employers shall be subject to minimum of twenty-five rupees per month for every non-functional establishment having no contributory member and two hundred rupees per month per establishment for other establishments.

2. For the removal of doubts, it is hereby notified that nothing contained in this notification shall affect the administrative charges payable in respect of the period up to and inclusive of the 31st December, 2014 in respect of which the notification referred to in paragraph 1 herein shall continue to apply as if the same had not been superseded.

[No.S-35012/01/2014-SS.II]
MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.